

**कार्यालय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों, राजस्थान जयपुर**

क्रमांक: फा. 15(4)(1)सविरा/नियम/99 पार्ट-2

दिनांक 6/6/2013

**परिपत्र**

राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 63(1) के प्रावधानानुसार जहां रजिस्ट्रार ने धारा 61 के अधीन किसी सहकारी सोसाइटी के परिसमापन के लिए कोई आदेश किया हो वहां वह, तत्प्रयोजनार्थ, किसी राज्य कर्मचारी को जो सहकारी निरीक्षक से नीचे की रैंक का न हो, समापक नियुक्त कर सकेगा और उसका पारिश्रमिक नियत कर सकेगा। इसी क्रम में राजस्थान सहकारी सोसाइटी नियम, 2003 के नियम 81(1) के प्रावधानानुसार समापक की नियुक्ति रजिस्ट्रार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित की जावेगी।

इस प्रकार धारा 63(1) के अन्तर्गत जारी समापक की नियुक्ति के आदेशों को राजपत्र में अधिसूचित किया जाना अनिवार्य है। इस परिप्रेक्ष्य में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं :-

1. राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 63(1) के अन्तर्गत समापक नियुक्ति संबंधी प्रत्येक आदेश की एक प्रति अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, जयपुर को राजपत्र में अधिसूचित करने हेतु प्रेषित की जावे।
2. राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 63(1) के अन्तर्गत जारी प्रत्येक आदेश पर सक्षम अधिकारी के स्याही से किये गये स्पष्ट हस्ताक्षर, पद एवं नाम हिन्दी में अंकित हों, जो कि पढ़ने योग्य होने चाहिये। राजकीय मुद्रणालय को आदेशों की फोटो प्रति प्रेषित नहीं की जावे।
3. जारी किया गया प्रत्येक आदेश स्पष्ट टंकित अथवा स्याही से लिखा होना चाहिये। पेन्सिल से लिखी प्रतियां प्रकाशनार्थ स्वीकृत नहीं की जाती, क्योंकि उनके अक्षर संग्रह प्रक्रिया के समय विकृत होने की संभावना रहती है।
4. राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 63(1) के अन्तर्गत जारी आदेश तुरन्त प्रभाव से राजकीय मुद्रणालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि यथासमय वह राजपत्र में अधिसूचित हो सके।
5. प्रकाशन सामग्री हेतु निर्धारित शुल्क की जानकारी राजकीय मुद्रणालय से प्राप्त कर ऐसी राशि किसी सरकारी कोषागार में राजकीय मुद्रणालय के बजट शीर्षक "058" लेखन सामग्री एवं मुद्रण में जमा करवाकर चालान रसीद की एक प्रति कोषाधिकारी से यथाहस्ताक्षरित कर आदेश की प्रति के साथ राजकीय मुद्रणालय को प्रेषित की जावे। यदि राशि सरकारी कोषागार में जमा नहीं करवाई गई हो, तो ऐसी राशि मनीआर्डर अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट से भी राजकीय मुद्रणालय को प्रेषित की जा सकती है।
6. राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 63(1) के अन्तर्गत जारी प्रत्येक आदेश पर स्पष्ट क्रमांक एवं दिनांक अंकित होने चाहिये।
7. राजकीय मुद्रणालय द्वारा राजपत्र में आदेशों का प्रकाशन उसी रूप में किया जाता है, जिस रूप में वह राजकीय मुद्रणालय को उपलब्ध करवाये जाते हैं, अतः राजकीय मुद्रणालय को आदेश की प्रति प्रेषित करने से पूर्व यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जावे कि उसमें कोई टंकण अथवा अन्य त्रुटि न हो।
8. राजकीय मुद्रणालय को आदेश की प्रति प्रेषित करते समय यह आवश्यक रूप से स्पष्ट किया जावे कि आदेश की प्रति राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित की गई है।
9. राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 63(1) के अन्तर्गत प्रत्येक आदेश हिन्दी भाषा में जारी कर राजकीय मुद्रणालय को प्रकाशनार्थ प्रेषित किया जावे।

उक्त निर्देशों की सभी संबंधित कड़ाई से पालना सुनिश्चित करेंगे।

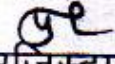
  
(पवन कुमार गोयल)  
रजिस्ट्रार

क्रमांक: फा. 15(4)(1)सविरा/नियम/99 पार्ट-2

दिनांक 6/6/2013

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय सहकारिता मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान जयपुर।
4. अतिरिक्त/संयुक्त पंजीयक, सहकारी समितियां, खण्ड (समस्त)
5. फंक्शनल अधिकारीगण, प्रधान कार्यालय, जयपुर (समस्त)
6. उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, राजस्थान (समस्त)
7. प्रचार अधिकारी, प्रधान कार्यालय, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
8. गार्ड पत्रावली।

  
रजिस्ट्रार